न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 213/2014

वादी :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)
जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक
(कार्मिक व प्रशासन) पुत्र
जवाहरलाल चौपड़ा आयु-60 वर्ष
निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0
(रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर
अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मांगीलाल वल्द छोगाराम
2. किशनाराम वल्द छोगाराम
3. चन्द्राराम वल्द छोगाराम
4. प्रहलाद वल्द गिरधारीलाल
5. छोटीदेवी पत्नि सुखाराम
जातियान-गुर्जर, निवासी-ढ़ाणी खेड़ा
(रास) तह.-जैतारण (जिला-पाली)
6. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.07.11.2014**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 03/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट बांगड सीमेन्ट के नाम सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण में स्थापित, कार्यरत एवं उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद के साथ पेश किया हैं, जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2399 रकबा 8-03 बीघा किस्म सेवज अव्वल की आई हुई हैं, जिसमें वादी कम्पनी 147/148 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। वादी कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग-अलग बंटी हुई हैं व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैं व वादी खसरा नम्बर 2399 रकबा 8-03 बीघा किस्म सेवज अव्वल भूमि में 147/148 हिस्से की भूमि यानि 8 बीघा 01 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रति वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2399 रकबा 8-03 बीघा किस्म रोवज अव्वल भूमि में 147/148 हिस्से की भूमि यानि रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 14/09/14 को मना कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं, वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं हैं। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रुप से नहीं जानती हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दिशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिए संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनायदावा दिनांक 14/09/14 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-भीवगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को बावजूद सूचना / तामिली बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 08/12/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 महावीर चौपड़ा का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया, मुख्य परीक्षण पर दस्तावेजात Exp-1 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 एवं नक्शा ट्रेस Exp-2 प्रदर्शित करवाया गया। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि उक्त विवादित आराजी की भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्डानुसार वादी खातेदार काश्तकार होने से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मौके पर वादी की भूमि का पक्षकारानों में मौके पर बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी होने से बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय दस्तावेजात एवं साक्ष्य वादी के शपथ-पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्राथमिक डिक्री जारी की जाना तथा उक्त विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2399 रकबा 8-03 बीघा किस्म सेवज अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2015/267 दिनांक 15/04/2015 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/15/3879 दिनांक 04/06/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 27/05/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2399 रकबा 8-03 बीघा किस्म सेवज दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा आयु-60 वर्ष निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2399 1/148 हिस्सा	08-02-00	से0दो0	0.00 रू.
2	मांगीलाल किशनाराम चन्द्राराम पि0 छोगाराम, प्रहलाद वल्द गिरधारीलाल, छोटीदेवी पत्नि सुखाराम कौम-गुर्जर सा0 देह खातेदार।	2399/1 147 /148 हिस्सा	0-01-00	से0दो0	0.00 रू.

उपखण्ड अधिकारी

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव की प्रति व नजरी नक्शा दिनांक 04/07/15 बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बामुकदमों इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

श्री सीमेन्ट लि० (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा आयु-60 वर्ष निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि० (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर

1. मांगीलाल वल्द छोगाराम
2. किशनाराम वल्द छोगाराम
3. चन्द्राराम वल्द छोगाराम
4. प्रहलाद वल्द गिरधारीलाल
5. छोटीदेवी पत्नि सुखाराम

जातियान-गुर्जर, निवासी-ढ़ाणी खेड़ा (रास) तह.-जैतारण (जिला-पाली)

6. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०:213/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-....... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2399 रकबा 8-03 बीघा किस्म सेवज दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि० (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा आयु-60 वर्ष निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि० (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2399 1/148 हिस्सा	08-02-00	से०दो०	0.00 रू.
2	मांगीलाल किशनाराम चन्द्राराम पि० छोगाराम, प्रहलाद वल्द गिरधारीलाल, छोटीदेवी पत्नि सुखाराम कौम-गुर्जर सा० देह खातेदार।	2399/1 147 /148 हिस्सा	0-01-00	से०दो०	0.00 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर राजस्व भंडार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यावी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी नेतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	2	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	3	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—		मुत्फरिक		
मिजानः-	8	00	मिजानः-	— Nil —	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner